



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना
सी ई एन : 01/2024



सहायक लोको पायलट (ए एल पी) की भर्ती



भारत सरकार

(रेल मंत्रालय)

रेलवे भर्ती बोर्ड

के न्द्रीकृत रोजगार सूचना (CEN) No. 01/2024

सहायक लोको पायलट (ALP) की भर्ती

आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	20-01-2024
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	19-02-2024 (23.59 घंटे)
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है)	20-02-2024 to 29-02-2024

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) 19.02.2024 के 23.59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

पद	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	आयु 01-07-2024 को	कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी)
सहायक लोको पायलट (ALP)	लेवल 2	19900	A-1	18 – 30 वर्ष	5696

आरआरबी-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण-अनुलग्नक बी में दिया गया है।

महत्वपूर्ण निर्देश

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- आवेदन केवल पैरा 13 (एफ) में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है और इस सीईएन में अधिसूचित पद के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जो आवेदक इस सीईएन के तहत एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें अयोग्य और वंचित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों की पात्रता आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे शैक्षणिक योग्यता/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी

छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

- (v) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे कि शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट, आदि, के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- (vi) मेडिकल फिटनेस: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एलपी पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- (vii) आयु (01.07.2024 को): 18 - 30 वर्ष (आयु में छूट के बारे में विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें।
- (viii) आरआरबी का चयन: इस सीईएन में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अनंतिम हैं और ये संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और केवल उस चुने हुए आरआरबी के तहत अधिसूचित रेलवे जोन के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं।
- (ix) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- (x) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।
- (xi) ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) एवं चयनित आर आर बी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है वह प्रत्येक बार रुपये 250/--के संशोधन शुल्क का भुगतान करके 20.02.2024 से 29.02.2024 तक ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता है।
- (xii) 29.02.2024 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेगा।
- (xiii) दूसरे चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग आरआरबी-वार उस आरआरबी के लिए रिक्तियों के 15 (पंद्रह) गुना की दर से की जाएगी (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है)। यह सीबीटी-1 में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अंक सामान्य किए जाएंगे जिनमें कई पालियां शामिल होंगी। सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सीबीटी-2 में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- (xiv) नकारात्मक अंकन: सीबीटी-1 और सीबीटी-2 दोनों में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक) होगा। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- (xv) प्रतिबंधित वस्तुएँ: प्रतिबंधित वस्तुएँ जैसे कि संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव,

लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियाँ), चूड़ियाँ, चेन, कंगन, श्रवण यंत्र, वॉलेट / पर्स, बैल्ट, जूते धातु के वस्त्र आदि, या पेन/पेसिल जैसी किसी भी स्टेशनरी वस्तु को ले जा रहे अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के अलावा अयोग्यता और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।

- (xvi) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटें देखें (नीचे para 13 (f) में सूचीबद्ध)। नकली वेबसाइटों से सावधान रहें - वे क्षामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

1.0 (GENERAL INSTRUCTIONS) सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 1.2 उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।
- 1.3 आरआरबी पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉटलिस्ट हो जाते हैं। यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो आरआरबी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटा दिया जाएगा।
- 1.4 इस अधिसूचना के तहत पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 जो उम्मीदवार इस सीईएन के खिलाफ एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो सूचना और/या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे और/या एक ही रेलवे के लिए एकाधिक आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की आर आर बी और आर आर सी की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा वंचित हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- 1.7 जिन उम्मीदवारों को भारत की केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.8 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि जैसा मैट्रिक/एसएसएलसी/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है, वैसा ही प्रविष्टि करनी चाहिए।
- (ए) नाम में किसी भी बदलाव के मामले में, उम्मीदवारों को केवल अपना बदला हुआ नाम ही बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण मैट्रिक्युलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि या ऐसे

परिवर्तन के लिए आवेदन ३०८०लाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

(बी) राजपत्र अधिसूचना या ऐसे मामलों के लिए लागू कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1.9 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर एक समान और एकजैसे होने चाहिए। हस्ताक्षर चालू हस्तलिखित में होना चाहिए न कि बड़े/बड़े अक्षरों में या असंबद्ध अक्षरों में। विभिन्न हस्ताक्षरों के उपयोग के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अयोग्य हो सकती है।

1.10 सीबीटी-1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी की तिथियां पैरा 13 (एफ) में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीटी-1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए जैसा कि पैरा 13 (एफ) में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी केंद्र, तारीख और शिफ्ट अंतिम होगी, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.11 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। यदि रेलवे को आवश्यकता हुई तो बाद के चरण में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/या सीबीएटी (जैसा लागू हो), अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1.12 रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, प्रथम चरण की परीक्षा (यानी, सीबीटी -1) में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। (रिफंड की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)

1.13 नियुक्ति का अधिकार: आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर नियुक्ति की पेशकश जारी करते हैं।

1.14 एएलपी पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो, प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफा का भुगतान किया जाएगा।

1.15 चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे।

1.16 पोस्टिंग: आम तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालाँकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अत्यावश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। जब तक नवनियुक्त उम्मीदवार कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी और विचार-विमर्श के साथ अपना आरआरबी चुनें।

1.17 चयनित उम्मीदवार, जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।

1.18 निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा: ऐसी और ऐसी उम्मीदवारों (अनुरोध पर) के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास, चयन के विभिन्न चरणों अर्थात् सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए उनके ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। उनके ३०८०लाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के

अनुसार।

ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाया होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक भी शामिल हैं।

1.19 आरआरबी सीईएन के तहत आवश्यकतानुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.20 आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त उनके अंक (अंक) अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ उनकी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/इनकार का उल्लेख करना चाहिए।

1.21 उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचें। अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफिक की संभावना के कारण इस सावधानी की अनुशंसा की जाती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने के तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (10:00 AM to 5:00 PM सभी कार्य दिवसों पर)

Email: rrbhelp@csc.gov.in

फोन: 9592001188

यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा।

2.0 रिक्तियां: कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी।) इस सीईएन में पद के पैरामीटर (यानी, योग्यता, चिकित्सा मानक आदि) अनुलग्नक ए में हैं और आरआरबी-वार रिक्तियां अनुलग्नक बी में हैं।

3.0 मेडिकल फिटनेस के मानक: डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा फिटनेस है। इस सीईएन के सहायक लोको पायलट के पद के लिए चिकित्सा आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं:

चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि मानक
A-1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूर की दृष्टि: 6/6, 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के (+2D स्वीकार नहीं होगा) ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 बिना चश्मे के और iii) कलर विजन, बाइनोक्युलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि के लिए टेस्ट पास करना होगा।

Note:

- उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। विवरण के लिए, उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है। 1, जिसे www.indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।
- जिन उम्मीदवारों ने अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या कोई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया कराई है, वे एएलपी पद के लिए पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों को डीवी के दौरान अनुलग्नक VI-ए में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

- (c) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएम) वॉल्यूम के पैरा 534 में वर्णित अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल मानक अलग-अलग हैं, जिसे www.indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।
- (d) उम्मीदवारों को विशेष रूप से देखा चाहिए कि एकलपी के पद के लिए कड़े चिकित्सा मानक हैं। इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फिटनेस - दृष्टि और शारीरिक मानकों दोनों के संदर्भ में - ऊपर बताए गए मेडिकल मैनुअल में वर्णित निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

a) एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए:

(i) भारत का नागरिक, या

(ii) नेपाल का नागरिक, या

(iii) भूटान का व्यक्ति (subject of Bhutan), या

(iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 01.01.1962 से पहले भारत आया था, या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

vi) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

b) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा (01.07.2024 को): 18 से 30 वर्ष

5.1 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में आयु में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के पर लागू है।

क्रम संख्या	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु
1	SC & ST उम्मीदवार	5 साल
2	OBC (Non-Creamy Layer) उम्मीदवार	3 साल
3	Ex-servicemen अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो	Ex-servicemen (UR & EWS) 3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		Ex-servicemen (OBC-NCL) 6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		Ex-servicemen (SC & ST) 8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या अलग-अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं।	UR & EWS 40 साल की उम्र
		OBC (NCL) 43 साल की उम्र
		SC & ST 45 साल की उम्र

5	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं	प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो।
6	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है।	UR & EWS 35 साल की उम्र
		OBC (NCL) 38 साल की उम्र
		SC & ST 40 साल की उम्र
7	कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रैटिस जो उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रैटिसशिप है।	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी।
8	वे अभ्यर्थी जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षु बन गए हैं	UR & EWS 35 साल की उम्र
		OBC (NCL) 38 साल की उम्र
		SC & ST 40 साल की उम्र

5.2 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

आयु वर्ग (वर्षों में)	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (बाद में नहीं)
	UR & EWS	OBC (NCL)	SC & ST	सभी उम्मीदवार
18 – 30	02.07.1994	02.07.1991	02.07.1989	01.07.2006
i) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)। ii) यूआर रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी। iii) पूर्वएसएम उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार दी जाएगी।				

महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्मतिथि में बदलाव के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.0 आवश्यक योग्यताएँ:

- आवश्यक योग्यताओं की सूची अनुलग्नक-ए में दी गई है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (यानी, 19.02.2024) तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।
- निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क (EXAMINATION FEE): उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ/समुदाय	शुल्क (Fee)
1	.सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500/- रुपये के इस शुल्क में से 400/- रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी।	500/- रुपये
2	उन उम्मीदवारों के लिए जो SC, ST, Ex-Servicemen, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या Economically Backward Class (EBC) से संबंधित हैं। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ अमित नहीं किया जाना चाहिए) 250/- रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर, लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा।	250/- रुपये
द्यान दें: केवल CBT-1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा।		

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (19.02.2024) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर डीवी के समय अनुलग्नक V के प्रारूप में अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 Economically backward Class (EBC) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय **50,000** रुपये से कम है। और रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए

a) जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक IV पर) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी

(2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य

(3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।

(4) देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय मंत्री।

(अथवा)

b) BPL card या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

(अथवा)

c) Izzat MST रेलवे द्वारा जारी.

सभी EBC उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड/इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और डीवी के समय इसे मूल रूप में भी जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

NOTE: EBC और EWS अलग-अलग श्रेणियां हैं, और EBC को OBC के साथ भूमित नहीं किया जाना चाहिए। EBC उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

7.4-परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी-1 में भाग लेने वालों के लिए)

- सभी उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (यानी, 400/-रुपये या रु. 250/- लागू होने पर बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन पत्र में अपने बैंक विवरण (जैसे, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड) का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
- सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और RRB इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
- गलत, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 लंबवत आरक्षण (VERTICAL RESERVATION):

8.1 **यह सीईएन** Economically Weaker Sections (EWS), Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Class (Non-Creamy Layer) (OBC-NCL) के लिए लंबवत आरक्षण प्रदान करता है, जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, और जैसा कि सूचित किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे। (रिक्ति तालिका में विवरण देखें।) केवल वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा SC, ST and OBC (Non-creamy Layer) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

NOTE: EBC और EWS अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.2 समुदाय की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को सामान्य यानी unreserved (UR) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (UR के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन।) हालाँकि, विशिष्ट समूहों [जैसे, SC, ST, OBC (NCL) & EWS] के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

8.3 इसलिए, EWS, SC, ST & OBC-NCL उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं, वे UR रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उम्, योग्यता में किसी छूट / रियायत के बिना सामान्य (UR) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। परीक्षा के किसी भी चरण में अंक आदि। किसी भी स्थिति में, उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करने की सलाह दी जाती है।

8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, EWS, SC, ST & OBC-NCL उम्मीदवारों को डीवी के दौरान मूल रूप से वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा Annexure-I (SC और ST उम्मीदवारों के लिए), Annexure-II (OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए) और Annexure-III (EWS उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.5 OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि “यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्था. की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। (एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार के डीओपीटी के कार्यालय जापन

संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरईएस.) दिनांक 13/09/2017* द्वारा संशोधित [This is also to certify that he/she does NOT belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 and modified vide GOI DOPT OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13/09/2017*]" (*इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त अतिरिक्त संशोधन, यदि कोई हो)

- 8.6 OBC के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र है और वह creamy layer में नहीं आता है। DV के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल OBC-NCL प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना चाहिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध हो, और एक स्व-घोषणा पत्र (Annexure II A में दिए गए प्रारूप में) भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि वे ""do not belong to creamy layer"। अन्यथा, आरक्षण के लिए उनका दावा (OBC-NCL के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके बजाय, उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन केवल UR उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है।
- 8.7 **महत्वपूर्ण:** इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय/श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.8 **EWS (ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) आरक्षण:**

वे उम्मीदवार जो SC/ST/OBC-NCL के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें EWS के रूप में पहचाना जाएगा। EWS के रूप में पहचाने जाने वालों को ही EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या उनके पास है, उन्हें परिवार की आय की परवाह किए बिना EWS के रूप में मान्यता देने से बाहर रखा जाएगा:

- i. 5 acres और उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii. 1000 sq. ft और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- iii. अधिसूचित नगर पालिकाएँ में 100 sq. yards और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- iv. अधिसूचित नगर पालिकाएँ के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 sq. yards और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

EWS स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर EWS के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। Annexure III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल EWS से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- a) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजौफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- c) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- d) उस क्षेत्र का Sub-Divisional Officer जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

EWS के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की

अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को valid Income and Asset Certificate भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, EWS के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (UR) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो सामान्य (UR) के तहत विचार किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION):

- 9.1 यह CEN पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए उनके सामाजिक समुदाय की परवाह किए बिना क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।
- 9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में ExSM के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं।
- 9.3 ExSM उम्मीदवार उस पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इस पद के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

10.0 पूर्व सैनिकों (EX-SERVICEMEN):

- 10.1 भूतपूर्व सैनिक(Ex-Serviceman) शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर (चाहे एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने Defence Security Corps., the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the Para Military Forces की हो।

and

 - (a) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त या मुक्त हो गया है, चाहे वह अपने अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो; (अथवा)
 - (b) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (अथवा)
 - (c) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (अथवा)
 - (d) जिसे कार्य की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो और उसे ग्रेचुयटी दी गई हो; और इसमें Territorial Army के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटे हुए दौर के लिए पेंशन धारक; (अथवा)
 - (e) सेना डाक सेवा (Army Postal Service) के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना Army Postal Service से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया; (अथवा)
 - (f) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)
 - (g) प्रादेशिक सेना (Territorial Army) के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य (Gallantry) पुरस्कार विजेता; (अथवा)
 - (h) भूतपूर्व रंगरूट (Ex-recruits) चिकित्सा आधार पर बाहर कर दिया गया या कार्यमुक्त कर दिया गया और दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।
- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, सगाई की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने के पात्र हैं। पूर्व सैनिकों को, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।
- 10.3 तदनुसार, इस तरह के सेवारत रक्षा कर्मियों को इस CEN के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के

भीतर (यानी, 18.02.2025 को या उससे पहले) रिहा किया जाना है, वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियाँ और आरक्षित पद दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उन को। हालाँकि, उनके पास इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

- 10.4 **पूर्व सैनिकों उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी/पूर्व समूह 'डी' (पीएसयू स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित (Group 'C/ erstwhile Group 'D' (PSUs, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks,etc.) में कार्यरत हैं, पूर्व सैनिकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद, वे केवल केंद्र सरकार के तहत ग्रुप 'सी/ पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (Group 'C/ erstwhile Group 'D') में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- 10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि जैसे ही वह किसी सिविल रोजगार में शामिल हो जाए। पूर्व सैनिक को इस CEN के खिलाफ आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को एक स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से NOC के साथ इस घोषणा की स्वीकृत प्रति डीवी के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू हैं।
- 10.6 भूतपूर्व सैनिक का मेडिकल मानक भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम । के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।
- 11.0 **वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC):**
रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परीक्षा से गुजर रहे लोगों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे RRB को ONLINE आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से NOC प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
NOTE: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी द्वारा उनके नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने का संचार प्राप्त होता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दी जाएगी।
- 12.0 **भर्ती प्रक्रिया:**
- (a) एक उम्मीदवार केवल एक RRB के लिए आवेदन कर सकता है, और केवल एक ही Online आवेदन जमा करना होगा
- (b) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:
- (i) प्रथम चरण सीबीटी (CBT-1)
- (ii) द्वितीय चरण सीबीटी (CBT-2)
- (iii) कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण (CBAT)
- (iv) दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और
- (v) चिकित्सा परीक्षण (ME)
- (c) परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटें, SMS और email के माध्यम से दी जाएगी।
- (d) किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थगन, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- 12.1 **प्रथम चरण सीबीटी (CBT-1):**
- a) CBT-1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। CBT-1 के normalized score and merit के आधार पर उम्मीदवारों को CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

- b) अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT-1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी
- c) OBC/SC/ST से संबंधित उम्मीदवार जिन्हें आयु के मानदंडों में छूट का लाभ उठाकर CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों के लिए केवल उनके संबंधित आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों के रूप में माना जाता रहेगा।
- d) **CBT-1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम:**
- (i) अवधि: 60 मिनट
 - (ii) प्रश्नों की संख्या: 75, अधिकतम अंक: 75 (@1 अंक प्रति प्रश्न)
 - (iii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
 - (iv) कई पालियों में आयोजित CBTs के लिए अंकों का normalised किया जाएगा।
 - (v) पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: UR & EWS - 40%, OBC (NCL) - 30%, SC - 30%, ST - 25%
 - (vi) CBT-1 के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और/या न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:
- (A) गणित: संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि। (**Mathematics:** Number system, BODMAS, Decimals, Fractions, LCM, HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Mensuration, Time and Work; Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Algebra, Geometry and Trigonometry, Elementary Statistics, Square Root, Age Calculations, Calendar & Clock, Pipes & Cistern etc.)
- (B) मानसिक क्षमता: सादृश्य, वर्णमाला और संख्या शृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क और धारणाएं आदि। (**Mental Ability:** Analogies, Alphabetical and Number Series, Coding and Decoding, Mathematical operations, Relationships, Syllogism, Jumbling, Venn Diagram, Data Interpretation and Sufficiency, Conclusions and Decision Making, Similarities and Differences, Analytical reasoning, Classification, Directions, Statement – Arguments and Assumptions etc.)
- (C) सामान्य विज्ञान: इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान शामिल होंगे। (**General Science:** The syllabus under this shall cover Physics, Chemistry and Life Sciences of 10th standard level.)
- (D) सामान्य जागरूकता: समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय। (**General Awareness:** Current affairs, science & technology, sports, culture, personalities, economics, politics and other subject of importance.)

12.2 द्वितीय चरण सीबीटी (CBT-2):

- (a) CBT-2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग CBT-1 में उनके सामान्यीकृत अंकों और योग्यता के अनुसार RRB-wise और community-wise की जाएगी।
- (b) CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 (पंद्रह) गुना तक सीमित होगी।
- (c) हालाँकि, रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सीमा को आवश्यकतानुसार बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (d) ALP के लिए अंतिम पैनल CBT-2 और CBAT में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर ही तैयार किया जाएगा।
- (e) **CBT-2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम:**
- (i) CBT-2 में दो भाग शामिल होंगे, भाग-ए और भाग-बी, जैसा कि नीचे बताया गया है।
 - (ii) कुल अवधि: 2 घंटे और 30 मिनट और कुल प्रश्न: 175
 - भाग-ए: 90 मिनट और 100 प्रश्न

➤ भाग-बी: 60 मिनट और 75 प्रश्न

- (iii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
- (iv) कई पालियों में आयोजित CBTs के लिए अंकों का normalised किया जाएगा।
- (v) भाग-ए में, पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: UR & EWS - 40%, OBC (NCL) - 30%, SC - 30%, ST - 25%।
- (vi) इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए केवल भाग-ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा, बशर्ते कि समुदाय के बावजूद उम्मीदवार भाग-बी में योग्यता अंक (35%) सुरक्षित करने में सक्षम हो।
- (vii) भाग-ए के लिए पाठ्यक्रम:
 - (A) गणित: संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।(Mathematics: Number system, BODMAS, Decimals, Fractions, LCM, HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Mensuration, Time and Work; Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Algebra, Geometry and Trigonometry, Elementary Statistics, Square Root, Age Calculations, Calendar & Clock, Pipes & Cistern etc.)
 - (B) सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क: सादृश्य, वर्णमाला और संख्या शृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, न्यायशास्त्र, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क और धारणाएँ आदि।(General Intelligence and Reasoning: Analogies, Alphabetical and Number Series, Coding and Decoding, Mathematical operations, Relationships, Syllogism, Jumbling, Venn Diagram, Data Interpretation and Sufficiency, Conclusions and decision making, Similarities and differences, Analytical reasoning, Classification, Directions, Statement – Arguments and Assumptions etc.)
 - (C) बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग: इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग (अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामितीय आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व), इकाइयां, माप, द्रव्यमान वजन और घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति और होंगे। वेग, गर्मी और तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता आदि।(Basic Science and Engineering: The broad topics that are covered under this shall be Engineering Drawing (Projections, Views, Drawing Instruments, Lines, Geometric figures, Symbolic Representation), Units, Measurements, Mass Weight and Density, Work Power and Energy, Speed and Velocity, Heat and Temperature, Basic Electricity, Levers and Simple Machines, Occupational Safety and Health, Environment Education, IT Literacy etc.)

(viii) भाग-बी के लिए पाठ्यक्रम:

- (A) भाग-बी प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा है और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे।
- (B) ध्यान दें: योग्यता प्रतिशत - श्रेणी/समुदाय के सभी उम्मीदवारों के लिए 35%।
- (C) विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम: कृपया विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (GOI) की वेबसाइट (<https://dgt.gov.in>) देखें।
- (D) आईटीआई/ट्रेड अप्रैटिसशिप योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्नों वाले अनुभाग में उपस्थित होना होगा।
- (E) डिग्री, डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरिंग अनुशासन के अनुसार नीचे सूचीबद्ध ट्रेडों की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना होगा।

CBT-2 का भाग बी (क्वालीफाइंग टेस्ट)।

ट्रेड/विषय का योग्यता-वार समूह

क्रम संख्या	उम्मीदवार की योग्यता	पार्ट-बी के लिए ट्रेड/पसंद का विषय
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन	इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मचर और कॉइल वाइन्डर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक [Electrician, Instrument Mechanic, Wireman, Armature & Coil Winder, Refrigeration and Air-conditioning Mechanic]

2	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी)[Electronics Mechanic, Mechanic (Radio & TV)]
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन	फिटर, मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक (डीजल), टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट/खरखाव मैकेनिक [Fitter, Mechanic (Motor Vehicle), Tractor Mechanic, Mechanic (Diesel), Turner, Machinist, Refrigeration and Air-conditioning Mechanic, Heat Engine, Millwright/Maintenance Mechanic]
4	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन	मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक (डीजल), हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक [Mechanic (Motor Vehicle), Tractor Mechanic, Mechanic (Diesel), Heat Engine, Refrigeration and Air-conditioning Mechanic]

12.3 कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण (CBAT):

- (a) प्रत्येक अधिसूचित समुदाय / श्रेणी अर्थात् UR, OBC(NCL), SC, ST and EWS (ExSM सहित) के लिए ALP रिक्तियों की संख्या के 8 (आठ) गुना के बराबर उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CBT-2 के भाग-ए में और आरक्षण नियमों के आवेदन में, बशर्ते कि वे CBT-2 के भाग-बी में अर्हता प्राप्त करें।
- (b) ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान निर्धारित प्रारूप (Annexure-VI के अनुसार) में अपना दृष्टि प्रमाण पत्र (Vision Certificate) मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (c) अर्हता प्राप्त करने के लिए CBAT के प्रत्येक टेस्ट बैटरी/सेक्शन को अलग से पास करना अनिवार्य है।
- (d) CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगी और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- (e) CBAT पर जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे RDSO की निम्नलिखित website लिंक देखें -
 - (i) rdso.indianrailways.gov.in -> Verticals -> Traffic and Psychology -> Psychology-Candidate's Corner, and
 - (ii) https://rdso.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,2,456,5821,6119.
- (f) योग्यता अंक (Qualifying Marks): CBAT में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों (समुदाय की परवाह किए बिना) को प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग-अलग 42 अंकों का न्यूनतम T-score प्राप्त करना होगा।
- (g) मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। CBT-2 के भाग-ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज और CBAT में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा।

12.4 दस्तावेज़ सत्यापन (DV):

- (a) CBT-2 के भाग-ए में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता, CBT-2 के भाग-बी में अर्हता प्राप्त करने और सीबीएटी में अंकों के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- (b) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी, बड़े उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी।
- (c) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- (d) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि RRB केवल संबंधित Railway Zone को पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित Railway Zone द्वारा जारी किया जाता है।
- (e) पैनल में शामिल होने या अन्य अन्यावश्यकताओं में किसी कमी के मामले में, RRB ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, यह ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

13.0 आवेदन कैसे करें:

- (a) गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
- (b) उम्मीदवारों को पहले इस सीईएन के लिए नीचे Para(f) पर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से 'Create an account' होगा। खाता निर्माण के लिए OTP प्राप्त करने के लिए उनके पास एक active व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक valid ईमेल आईडी होना चाहिए। 'Create an account' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (c) उम्मीदवारों को केवल एक RRB चुनने और नीचे Para (f) में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित पद के लिए केवल एक ONLINE आवेदन जमा करने की अनुमति है।
- (d) आवेदन भरने से पहले अनिवार्य scan किए गए दस्तावेज़ तैयार रखें:
- (i) उम्मीदवार की हाल ही की, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर (सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ) JPEG छवि में (size 30 to 70KB) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने।
- Note:** भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां होनी चाहिए।
- (ii) चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की scan की गई JPEG छवि (size 30 to 70KB)
 - (iii) PDF प्रारूप में SC /ST प्रमाणपत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) (upto 500KB)
- (e) उम्मीदवार ONLINE आवेदन जमा करने के लिए Digital India पहल के तहत Common Services Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। Common Services Centre (CSC) योजना भारत सरकार की National eGovernance Plan (NeGP) का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक Village Level Entrepreneur (VLE) द्वारा किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक Common Services Centres (CSC) हैं जो शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने और e-wallet के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम Common Services Centre जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - Find My CSC (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)।
- (f) उम्मीदवारों को प्रामाणिक जानकारी और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर नियमित अपडेट या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर अक्सर जाने की सलाह दी जाती है।

CEN 01/2024 में भाग लेने वाले RRBs की वेबसाइटें			
अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	अजमेर www.rrbjmer.gov.in	बैंगलुरु www.rrbbnc.gov.in	भोपाल www.rrbbhopal.gov.in
भुवनेश्वर www.rrbbbs.gov.in	बिलासपुर www.rrbbilaspur.gov.in	चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in	चेन्नई www.rrbchennai.gov.in
गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in	जम्म-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in	कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in	मालदा www.rrbmalda.gov.in
मुंबई www.rrbmumbai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in	पटना www.rrbpatna.gov.in	प्रयागराज www.rrbald.gov.in
रांची www.rrbranchi.gov.in	सिंकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in	सिलीगुड़ी www.rrbsiliguri.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in			

- (g) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर होगी।

महत्वपूर्ण

- (i) उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत email ID सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल SMS और/या email के माध्यम से होंगे।
- (ii) RRBs किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और email address में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- (iii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और RRBs के साथ पत्राचार के लिए अपना Registration Number ध्यान से नोट करें और याद रखें। पंजीकरण संख्या प्रदान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.0 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- खाता (Create an Account) बनाने के बाद, कृपया ONLINE आवेदन भरने के लिए निर्देशों का पालन करें।
- (a) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरना होगा और जमा करने से पहले दोबारा जांचना होगा।
 - (b) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा।
 - (c) **परीक्षा का माध्यम:** CBT-1 और CBT-2 के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कॉकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तटनुसार, उम्मीदवारों को ONLINE आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक में से अपनी परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। CBT-1 और CBT-2 प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। हालाँकि, CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा।
 - (d) आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को para 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा payment का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- IMPORTANT:** कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस CEN के लिए ONLINE आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में सावधान रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।
- (e) अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति होगी। आवेदक को email और SMS के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।

15.0 आवेदन में संशोधन (MODIFICATION OF APPLICATION):

- (a) ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'Create an Account' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को और संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, प्रत्येक अवसर के लिए 250/- (गैर-वापसीयोग्य) रुपये का modification fee का भुगतान करके। **'Create an Account' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए RRB को नहीं बदला जा सकता है।**
- (b) Modification fee का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा।
- (c) यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को SC/ST से UR या OBC या EWS में संशोधित करता है, तो उसे modification fee के अलावा examination fee में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (d) इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार पूर्व Ex.SM to UR/OBC (NCL)/EWS/Non Ex.SM आदि में स्विच कर रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क (modification fee) के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क (examination fee) में अंतर यानी 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (e) प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ONLINE आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी।
- (f) इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय यानी 19.02.2024 (23:59 बजे) के 10 (दस) दिन बाद तक संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ONLINE आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो (Modification window) 20.02.2024 से 29.02.2024 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, RRB आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

16.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति (INVALID APPLICATIONS / REJECTIONS):

- (a) ONLINE आवेदन निम्नलिखित आधारों सहित अन्य आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे:
- विभिन्न RRBs या एक ही RRB के लिए एकाधिक आवेदन। ऐसे मामले में, सभी आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी RRB और RRC परीक्षाओं से बंचित कर दिया जाएगा।
 - अमान्य फ़ोटो (अर्थात्, निर्धारित विशेषताओं के अनुसार नहीं) जैसे खराब रिज़ॉल्यूशन, पूरे शरीर का दृश्य, केवल पार्श्व दृश्य, पहचान में न आने वाली चेहरे की विशेषताएं, फोटोकॉपी की गई फ़ोटो, समूह फ़ोटो, झुकी/उल्टी छवि, सेल्फी, टोपी के साथ, काले चश्मे के साथ, आदि।
 - अमान्य हस्ताक्षर (अर्थात्, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे हाथ से लिखने के बजाय बड़े/बड़े अक्षरों का उपयोग, खराब रिज़ॉल्यूशन, अपूर्ण छवि, आदि।
 - उम्मीदवार का नाम किसी भी RRB/RRC की बंचित (debarred) सूची में-होना।
 - कोई अन्य अनियमितता।
- (b) **अस्वीकृत आवेदन :** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण (अस्वीकृति के कारण सहित) संबंधित RRB की वेबसाइट पर लाँग इन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाद्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क (examination fee) वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और email ID पर SMS और email अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 E-call लेटर से संबंधित निर्देश :

- (a) CBT शेड्यूल के बारे में जानकारी और विवरण और E-call लेटर डाउनलोड करने का लिंक para 13 (f) में सूचीबद्ध RRB की official websites पर दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को SMS और email के जरिए भी सूचित किया जाएगा।
- (b) योग्य उम्मीदवार CBT / CBAT के लिए अपना E-call लेटर CBT / CBAT की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले para 13 (f) में दिए गए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, परीक्षा शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।
- (c) उम्मीदवारों को डाक द्वारा call letter लेटर नहीं भेजा जाएगा।
- (d) CBT/CBAT के संबंध में विस्तृत जानकारी और निर्देश E-call लेटर के साथ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- (e) **निःशुल्क यात्रा सुविधा (Free Travel Facility):** SC और ST उम्मीदवारों के मामले में जो मुफ्त ट्रेन यात्रा के लिए पात्र हैं, उनके E-call लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्टीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे SC और ST उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने E-call लेटर और SC/ST प्रमाण पत्र की self -attested फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, SC और ST के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- (f) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने E-call लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र। कर्मचारी, यदि अभी भी पढ़ रहे हैं तो स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र, इत्यादि) (Voter ID-Card, Aadhaar card, printout of e- Aadhaar, driving license, PAN card, passport, valid identity card issued by the employer in case the candidate is a govt. employee, school / college / university photo ID card if still studying, etc) ले जाना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (g) CBT/CBAT/ DV/ME के दौरान, उम्मीदवारों को उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो की एक प्रति भी लानी होगी जो उनके ONLINE आवेदन में अपलोड की गई थी।

18.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- (a) DV के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को DV के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ self- attested फोटोकॉपी के दो सेट प्रस्तुत करने होंगे।
- (b) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को अपनी DV तिथि से पहले पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से फोटो और हस्ताक्षर की scan की गई प्रतियां (असली रंग में) अपलोड करनी चाहिए।
- (c) सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहां प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्वप्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। DV के दौरान उत्पादित प्रमाणपत्र पूर्णतया निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।
- (d) DV की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

19.0 अनुचित प्रथाओं का उपयोग:

- (a) कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग का प्रयास, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाना आदि का उपयोग करते हुए पाया जाएगा, तो उसे सभी RRB और RRC की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से जीवन भर के लिए रोक दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई के भी पात्र होंगे।
- (b) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित और अनुचित प्रभाव के किसी भी उपयोग से संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (c) **चेतावनी:** रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने वाले बैंडमान तत्वों और नौकरी रैकेटर्स से सावधान रहें - या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक तरीकों का उपयोग करके। RRB भर्ती के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के प्रति आगाह किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

20.0 मिश्रित (MISCELLANEOUS):

- (a) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी बेमेल के मामले में, संबंधित RRB किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
- (b) RRB किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (c) RRB किसी भी स्तर पर additional CBT/ CBAT/ DV/ME (यदि आवश्यक हो) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी इस CEN में अधिसूचित ALP पद के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए आंशिक या संपूर्ण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (d) पात्रता, ONLINE आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, Free Railway passes जारी करना, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, CBT का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन आदि से संबंधित सभी मामलों में RRBs का निर्णय उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में RRBs द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (e) RRB किसी भी अनजाने त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- (f) इस CEN से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुददा संबंधित Central Administrative Tribunals के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा जिसके अंतर्गत संबंधित RRB स्थित है।
- (g) व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, Employment News और आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

21.0 इस CEN में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, डीवी = दस्तावेज़ सत्यापन, एमई = मेडिकल परीक्षा
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	सीसीएए = पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेंटिस, ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य)
रेलवे जोन	सीआर = मध्य रेलवे, ईसीआर = पूर्व मध्य रेलवे, ईसीओआर = पूर्वी तट रेलवे, ईआर = पूर्वी रेलवे, एनआर = उत्तर रेलवे, एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर = उत्तर पूर्व रेलवे, एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिम रेलवे, एसआर = दक्षिणी रेलवे, एससीआर = दक्षिण मध्य रेलवे, एसईआर = दक्षिण पूर्व रेलवे, एसईसीआर = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसडब्ल्यूआर = दक्षिण पश्चिम रेलवे, डब्ल्यूआर = पश्चिमी रेलवे, डब्ल्यूसीआर = पश्चिम मध्य रेलवे आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती कक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs)	एडीआई = अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, बीबी = मुंबई, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीपीएल = भोपाल, बीएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी = गोरखपुर, जीएचवाई = गुवाहाटी, जाट = जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएएस = चेन्नई, एमएलडी = मालदा, एमएफपी = मुजफ्फरपुर, पीआरवाईजे = प्रयागराज पीएनबीई = पटना, आरएनसी = रांची, एसबीसी = बैंगलुरु, एससी = सिकंदराबाद, एसजीयूजे = सिलीगुड़ी, टीवीसी = तिरुवनंतपुरम
सामान्य	एएलपी = सहायक लोको पायलट, सीईएन = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईडी = पहचान, एलटीआई = बाएं अंगूठे का निशान, ओटीपी = वन टाइम पासवर्ड, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, ईक्यू = शैक्षिक योग्यता
संस्थाएँ / परिषद / प्रमाण पत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र, एनओसी = अनापति प्रमाणपत्र, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें पीसी में स्तर	वेतन	Medical std	बैंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	सहायक लोको पायलट (ASSISTANT LOCO PILOT)	2	19900	A1	उपयुक्त नहीं	<p>A) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से आईटीआई (फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट/मेंटनेंस मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (मोटर वाहन), वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइन्डर, मैकेनिक (डीजल), हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में।)</p> <p>(या)</p> <p>मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस ऊपर उल्लिखित ट्रेडों में पाठ्यक्रम पूरा किया गया एकट अप्रैटिसशिप</p> <p>(या)</p> <p>B) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटोमो बाइल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा (या) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन आईटीआई के बदले.</p> <p>Note: इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर उपरोक्त इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी स्वीकार्य होगी।</p>

CEN 01/2024: RRB और ZONE-WISE ALP की रिक्ति विवरण

श्रेणी संख्या	आरआरबी (RRB)	जोन (ZONE)	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	EXSM
1	अहमदाबाद	WR	95	37	17	65	24	238	24
	अजमेर	NWR	86	32	13	72	25	228	22
	प्रयागराज	NCR	163	13	10	27	28	241	25
		NR	21	7	3	12	2	45	5
	बैंगलुरु	SWR	186	72	35	127	53	473	47
	भोपाल	WCR	145	25	19	21	9	219	22
		WR	35	5	0	18	7	65	7
	भुवनेश्वर	ECoR	104	42	51	65	18	280	28
	बिलासपुर	CR	57	0	13	44	10	124	12
		SECR	483	179	89	322	119	1192	119
	चंडीगढ़	NR	42	2	4	12	6	66	6
	चेन्नई	SR	57	33	15	29	14	148	15
	गोरखपुर	NER	18	7	3	11	4	43	4
	गुवाहाटी	NFR	26	9	4	17	6	62	6
	जम्मू-श्रीनगर	NR	15	6	3	11	4	39	4
	कोलकाता	ER	155	37	19	23	20	254	26
		SER	30	11	23	20	7	91	9
	मालदा	ER	67	19	20	25	30	161	16
		SER	23	8	4	15	6	56	6
	मुंबई	SCR	10	4	2	7	3	26	3
		WR	41	16	8	30	15	110	11
		CR	179	58	37	95	42	411	41
	मुजफ्फरपुर	ECR	15	5	3	11	4	38	4
	पटना	ECR	15	6	3	10	4	38	4
	रांची	SER	57	32	10	38	16	153	16
	सिकंदराबाद	ECoR	80	30	15	54	20	199	20
		SCR	228	85	40	151	55	559	56
	सिलीगुड़ी	NFR	27	10	5	18	7	67	7
	तिरुवनंतपुरम्	SR	39	14	14	1	2	70	7
			2499	804	482	1351	560	5696	572

SC/ST अध्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी*। का बेटा/बेटी*

गांव शहर। / जिला / संभाग*
. की। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* जाति*/जनजाति से संबंधित है जिसे एक के रूप में मान्यता प्राप्त है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत:-

@संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@संविधान (अनुसूचित जातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

@संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और) द्वारा संशोधित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@संविधान (गोवा, दमन और दीवा) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान (गोवा, दमन और दीवा) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती* को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है। ..पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी.....

गांव/कस्बे के*। में/जिला/संभाग* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के* जो जाति*/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश* दिनांक द्वारा जारी किया गया।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या* ३नका/३नका परिवार सामान्यतः गांव/कस्बे में रहता है*..... जिला/मंडल*.....

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* का

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

पद का नाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं। @कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें। % जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

ध्यान दें: (ए) यहां इस्तेमाल किए गए शब्द "आमतौर पर निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी से नीचे नहीं) क्लास वजीफा मजिस्ट्रेट। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो। 4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संबंधित

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। 6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

OBC (NCL) द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करना

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.*
..... श्री/श्रीमती* का पुत्र/पुत्री*
..... गाँव/कस्बे का*
..... जिला/मंडल* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में का है
..... वह समुदाय जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या... के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
..... | दिनांकित**

श्री/श्रीमती/कु. और/या उसका/उसका परिवार
सामान्यतः में रहता है। जिला/प्रमंडल
.. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्था. की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। (एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार के डीओपीटी के कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(Res.) दिनांक 13/09/2017*** द्वारा संशोधित।

दिनांकित:

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय सील

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

*** समय-समय पर यथासंशोधित।

ध्यान दें:

क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

बी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफादार मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफादार मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)).

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के लिए प्रोफार्मा, जिन्होंने केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या के तहत पद के लिए आवेदन किया था।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

"मैं, श्री
का पुत्र/पुत्री गांव/कस्बे/शहर का
निवासी ज़िला ...। राज्य
..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं से संबंधित हूं। .
(अपनी उपजाति बताएं) समुदाय जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.
मैं निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में
मान्यता दी गई है। (एससीटी) दिनांक 08.09.1993। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय
ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं
और इसके बाद ओ.एम.नं. 36033/1/2013-स्था. के माध्यम से संशोधन किया गया। (आरईएस) दिनांक 13.09.2017.

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

उम्मीदवार का नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या.....

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा तैयार किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र)

प्रमाणपत्र संख्या.....

तारीख:

वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती. / कुमारी का बेटा/बेटी/पत्नी स्थायी निवासी का
 गाँव/गली..... डाकघर..... ज़िला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में
 पिन कोड जिसका फोटो नीचे सत्यापित है वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से
 है, क्योंकि उसके "परिवार" की सकल वार्षिक आय** रुपये से कम है। वित्तीय वर्ष के लिए .8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र)
 उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है** *:

- I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;
- I. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- II. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... का है... जाति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का फोटो।
इस प्रमाणपत्र को जारी करने
वाले प्राधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाना चाहिए

की मुहर सहित हस्ताक्षर
कार्यालय
नाम
पद का नाम

* Note 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।** Note 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।***Note 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- (iv) उपमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट के लिए प्रोफार्मा

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या.....

1. उम्मीदवार का नाम:
2. पिता का नाम:
3. आयु:
4. आवासीय पता:
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और आंकड़ों में):

तारीख :

हस्ताक्षर:

नाम :

जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर:

ध्यान दें: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का मतलब वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य
- (3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद सामान्यतः रहते हैं।
- (4) देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो सकता है।

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट का प्रोफार्मा

**अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्व-घोषणा
परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु**

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री
..... गांव/कस्बे/शहर का निवासी
ज़िला। राज्य
..... से संबंधित हूँ।
..... (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम / सिख / ईसाइ / बौद्ध / जैन / पारसी (पारसी) को इंगित करें)।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

जगह :

उम्मीदवार का नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या

ध्यान दें : दस्तावेज़ सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टाम्प-पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (यानी मुस्लिम) से हैं। / सिख / ईसाइ / बौद्ध/जैन/पारसी(पारसी)।

**किसी नेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त होने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा
सीईएन नंबर 01/2024 के तहत सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा**

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी की जांच की है.....कौन

भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन किया है। उनका दृष्टिकोण रहा है रेलवे में नियुक्ति के लिए आवश्यक मानक के संदर्भ में परीक्षण किया गया परिणाम इस प्रकार हैः

यहां 3.5 सेमी x 4.5 सेमी आकार का अपना रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं (रंगीन फोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया हो)। फोटो नेत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित होना चाहिए

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि		रंग दृष्टि		दूरबीन दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र और रात्रि दृष्टि	
आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /आंकड़ा	आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /आंकड़ा	आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /आंकड़ा	आवश्यक मानक	वास्तविक अवलोकन /आंकड़ा
6/6,6/6 फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के बिना (+2डी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए)		एस.एन. 0.6, 0.6 चश्मे के बिना		सामान्य		सामान्य	

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पूरी तरह से अनुरूप है/अनुरूप नहीं है (दोनों में से किसी एक को काट दें।) उपरोक्त दृष्टि मानकों के 'पूरी तरह से अनुरूप' या 'अनुरूप नहीं' जैसा भी मामला हो।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसने लेसिक सर्जरी या अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए कोई सर्जरी नहीं कराई है।

नेत्र विशेषज्ञ का नाम

नेत्र विशेषज्ञ का पंजीकरण क्रमांक

जगह :

तारीख :

(नेत्र विशेषज्ञ के हस्ताक्षर एवं मुहर)

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा प्रपत्र
सीईएन नंबर 01/2024 के तहत लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र सर्जरी के संबंध में सहायक लोको पायलट के पद के
लिए

मैं, श्री/श्रीमती/कु

का बेटा/बेटी

रहने वाली हो

इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने LASIK या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं कराई है।
मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूँठी पाई गई तो मुझे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और
रेलवे में सभी भर्ती से वचित कर दिया जाएगा।

जगह :

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

आरआरबी पंजीकरण संख्या

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्व-घोषणा का प्रारूप
सीईएन नंबर 01/2024 के तहत पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर नागरिक रोजगार

मैं समझता हूं कि मैं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय कोई रोजगार प्राप्त किया हो। पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर नागरिक पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / वैधानिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित)।

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:-

- सीईएन..... के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई नागरिक रोजगार हासिल नहीं किया है।
- मैंने सिविल रोजगार हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सीईएन में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन पत्र दिया है..... जिसके लिए मैंने नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (जो लागू न हो उसे काट दें).

जगह :

हस्ताक्षर :

तारीख :

नाम :

Roll No:

आरआरबी पंजीकरण संख्या